गोपनीय / महत्वपूर्ण

संख्या-2998 / 33-3-2012-128 / 2012

प्रेषक,

जे0सी0आदर्श,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
परियोजना प्रबन्ध इकाई,
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज,अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक- 12 दिसम्बर, 2012

विषयः- **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि के सापेक्ष प्रारम्भ से अब तक कराये गये कार्यों की जॉच के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत प्रारम्भ से अब तक कराये गये कार्यों की प्राप्त जॉच आख्याओं में प्रकाश में आयी गम्भीर अनियमितताओं के दृष्टिगत सम्यक परीक्षणोंपरान्त मामले में आर्थिक अपराध शाखा (ई0ओ0डब्लू0) से जॉच कराने के क्रम में जॉच के दौरान सम्बन्धित निर्माण कार्य एवं तत्सम्बन्धी भुगतान पर पूर्ण रोक लगा दी गयी थी। इस क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-1934 / 33-3-2012-128 / 2012 दिनांक 14.08.2012 के प्रभावी होने की दशा में शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया कि जनपद स्तर पर शेष धनराशि का उपभोग कर उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को शीघ्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होना सम्भव नहीं होगा।

2- अतः सम्यक् विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि आर्थिक अपराध शाखा की जॉच की परिधि में आने वाले समस्त कार्यों को छोड़कर गत वर्षों के अनारम्भ कार्यों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राविधानित विकास अनुदान मद के नवीन कार्य जिनकी स्वीकृतियां जारी की गयी हैं / की जा रही हैं, को तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ करते हुये उस पर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही करने का कष्ट करें। इसी के साथ वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राविधानित क्षमता विकास अनुदान मद से पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण हेतु आवंटित धनराशि से भी प्रशिक्षण के कार्य कराने एवं उसका भुगतान नियमानुसार कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जे0सी0आदर्श)
विशेष सचिव।